अधिनियम के अन्तर्गत कानून में अधिकतम सीमा से फालतू खाली भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए रखने की व्यवस्था है। इसी प्रकार फार्म-हाउस के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जा रही भूमि पर भी शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 2(0) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण— (ख) के अनुसार शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और वे संबंधित मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

विवरण

भूमि जोतों की राज्यवार चकबन्दी

राज्य का नाम	क्षेत्र लाख एकड़ में
1. आन्ध्र प्रदेश	8.18
2. बिहार	34.67
3. दिल्ली (केन्द्र शासित क्षेत्र)	2.57
4. गुजरात	67.28
5. हरियाणा	104.45
6. हिमाचल प्रदेश	17.17
7. जम्मू व कश्मीर	1.16
8. कर्नाटक	26.76
9. मध्य प्रदेश	95.53
10. महाराष्ट्र	520.47
11. उड़ीसा	17.05
12. पंजाब	121.30
13. राजस्थान	42.30
14. उत्तर प्रदेश	434.77
योगः	1493.74

नोटः असम, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में योजना स्वैच्छिक है।

पेयजल के लिए मास्टर योजना

2808. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेय जल की समस्या का सामना करने के लिए कोई विस्तृत मास्टर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

2809. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में 22.5 लाख परिवारों को सहायता दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले, 25.3 लाख परिवारों ने सहायता प्राप्त की जिसके फलस्वरूप उपलब्धि भौतिक लक्ष्य की 112.66% रही। इसी वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्य की सब्सिडी को मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये कुल आवंटन (वित्तीय लक्ष्य) 703.6 करोड़ रुपये का था। इसके मुकाबले कार्यक्रम के अंतर्गत 773.1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्धि वित्तीय लक्ष्य की 109.87 प्रतिशत रही। इस तरह, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 में